Phone: 0141-2850100

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
OPP. ROAD NO.5, VKIA, SIKAR ROAD, JAIPUR
website: http://www.rpcb.nic.in

Reg.-/E-mail.

F.No. RPCB/RO-JP/N/Legal/140/1964

Date: 22/01/2021

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Central Zone,
Bhopal. - 462003

Subject: Compliance report of the Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi order dated 31/07/2020 in Original Application No.48/2020 (CZ) Khanan Grasth Sangharsh Samiti V/s Union of India & Ors.

Reference: 1. Hon'ble NGT order dated 31/07/2020.
2. Joint Survey report dated 06/01/2021.

Sir,

With reference to the above subject matter, it is submitted that the Hon'ble Tribunal has passed order dated 31.07.2020 inter-alia as follows:-

"**3. It is alleged that due to use of heavy machineries there is imminent danger of life of the citizens residing there and development of cracks because of blasting in the buildings.**

4. We deem it just and proper to call a report from a joint Committee consisting of:-

(i) District Magistrate Jaipur;
(ii) District Mining Officer, Jaipur;
(iii) Rajasthan Pollution Control Board"

In compliance of the directions passed by this Hon'ble Tribunal, the joint committee has conducted its survey on 06.01.2021. The copy of the joint survey is enclosed with this letter for ready reference of this Hon'ble Tribunal.

Enclosed - As above.

Yours sincerely,

(Vijay Sharma)
SEE & Regional Officer

Filing 04.02.2021
NGT, CZB, BHOPAL
Receipt No.: -106
Date: -04-02-2021
(12.2.2021)

<u>संयुक्त निरीक्षण रिपोंट</u>

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच, द्वारा ओरिजिनल एप्लीकेशन संख्या 48/2020 (CZ), खनन ग्रस्त संघर्ष समिति बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31/07/2020 की अनुपालना में याचिका में वर्णित 15 खनन ईकाईयों तथा इन खनन ईकाईयों द्वारा की जा रही ब्लास्टिंग से हो रहे कथित नुकसान के संदर्भ में अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 06/01/2021 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि खनन पट्टा संख्या 16/98, 131/2006, 43/2003, 41/2003, 619/93, 122/2006, 621/93, 28/2006, 618/93, 620/93, 62/2006, 12/95 एक Cluster में ग्राम–पिचानी में स्थित हैं तथा खनन पट्टा संख्या 24/2006, 25/2006 एवं 293/2003 दुसरे Cluster में ग्राम शुक्लाबास में स्थित हैं। उक्त खनन पट्टों में से खनन पट्टा संख्या 131/2006 तथा 293/2003 वर्तमान में संचालन में नहीं हैं। निरीक्षण के दौरान खनन ईकाईयों में ब्लास्टिंग नहीं हो रही थी तथा संयुक्त निरीक्षण से पूर्व रात्रि को वर्षा होने के कारण खनन गतिविधि भी होती हुई नहीं पाई गई। खनन पट्टा धारकों ने उनके द्वारा विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण की जानकारी दी। कथित स्थानों में से कुछ स्थानों पर वृक्षारोपण की पुष्टी करने हेतु निरीक्षण दल ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, शुक्लाबास तथा नाडा के बालाजी ग्राम–ढाढा का मौका–निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्या ने बताया कि खनन पट्टा धारकों द्वारा विद्यालय में 300 वृक्षों का पौधारोपण किया है तथा नाडा के बालाजी, ग्राम–ढाढा के पुजारी ने खनन पट्टा धारकों द्वारा लगभग 150 पौधों के रोपण हेतु जानकारी दी। खनन पट्टा धारकों द्वारा बताया गया कि गाडीयों के आवागमन से मार्ग में उडने वाली धूल को राकने के लिए उन्होनें पानी के छिडकाव हेतु टेंकरों की व्यवस्था कर रखी है।

ततपश्चात् ब्लास्टिंग से कथित नुकसान की जानकारी हेतु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, शुक्लाबास का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में प्रधानाचार्या जिन्होने स्वयं का नाम श्रीमति सुमेलता यादव बताया तथा एक शिक्षक जिन्होने स्वयं का नाम श्री रामवतार यादव बताया, मौजुद थे। उक्त अध्यापकों ने बताया की ब्लास्टिंग से विद्यालय प्रांगण में कंपन होता है जिससे विद्यालय भवन में जगह–जगह दरारें आ गयी हैं। उनके द्वारा भवन में कुछ दरारों को निरीक्षण दल को दर्शाया गया।

तदुपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा ब्लास्टिंग द्वारा निकट ग्रामों के भवनों में हुए कथित नुकसान की जांच हेतु भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान खनन ग्रस्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधि श्री राधेश्याम तथा लगभग 100 ग्रामवासी मौजूद थे। श्री राधेश्याम तथा ग्रामवासीयों ने बताया कि ग्राम के पास स्थित खनन ईकाईयों द्वारा ब्लास्टिंग की जाती है। जिससे आस पास के खेतों

06/01/21
उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

संजय कुमार शर्मा
(स.व.सं. कोटपूतली)

अमित सोनी
सहायक पर्यावरण अभियंता
रा.प्र.नि.म, जयपुर

HF/AME/KTP
06/01/21

में पत्थर उछल कर जाते हैं तथा ब्लास्टिंग कंपन से उनके भवनों में नुकसान पहुंचता है। श्री राधेश्याम द्वारा बताया गया कि उक्त खनन ईकाईयां निदेशालय खान एवं सुरक्षा (DGMS) से ब्लास्टिंग की अनुमति प्राप्त कर ब्लास्टिंग करती हैं।

श्री राधेश्याम तथा अन्य ग्रामवासियों ने निरीक्षण दल को कुछ भवन में दरारें दिखाई तथा एक भवन की गिरी हुई दिवार को दर्शाया। इन व्यक्तियों द्वारा यह दावा किया गया कि यह नुकसान ब्लास्टिंग से होने वाले कंपन से हुआ है तथा इस नुकसान हेतु उन्हें मुवायजा दिया जाना चाहिए। निरीक्षण के दौरान लिये गये कुछ फोटोग्राफ संलग्न हैं।

अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा उक्त कथित नुकसान को देखा गया परन्तु किसी वैज्ञानिक अध्ययन के अभाव में इन दरारों तथा नुकसान का कारण ब्लास्टिंग होना निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसके हेतु ब्लास्टिंग से कंपन की कंपन अध्ययन (Seismic Study) तथा उसके प्रभाव पर रिर्पोट आवश्यक है।

उल्लेखनीय है कि खनन ईकाईयों को ब्लास्टिंग की अनुमति निदेशालय खान एवं सुरक्षा (DGMS) द्वारा दी जाती है जो कि ब्लास्टिंग हेतु दिशा निर्देश तय करते है तथा दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हैं। अतः DGMS से भी इस प्रकरण में ब्लास्टिंग से निकट ग्रामों/खेतों/भवनों पर पड रहे प्रभावों के संबंध में रिपोर्ट लिया जाना उचित होगा।

06/01/21
उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

संजय कुमार शर्मा
स.ख.अ., कोटपूतली

अमित सोनी
सहायक पर्यावरण अभियंता
रा.प्र.नि.म., जयपुर

MF/AME/KTP
06/01/21

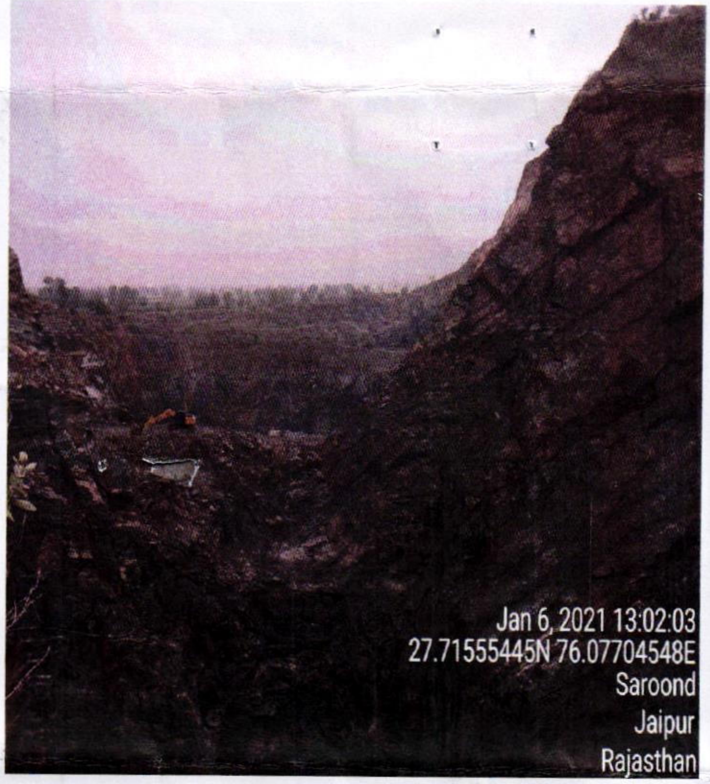

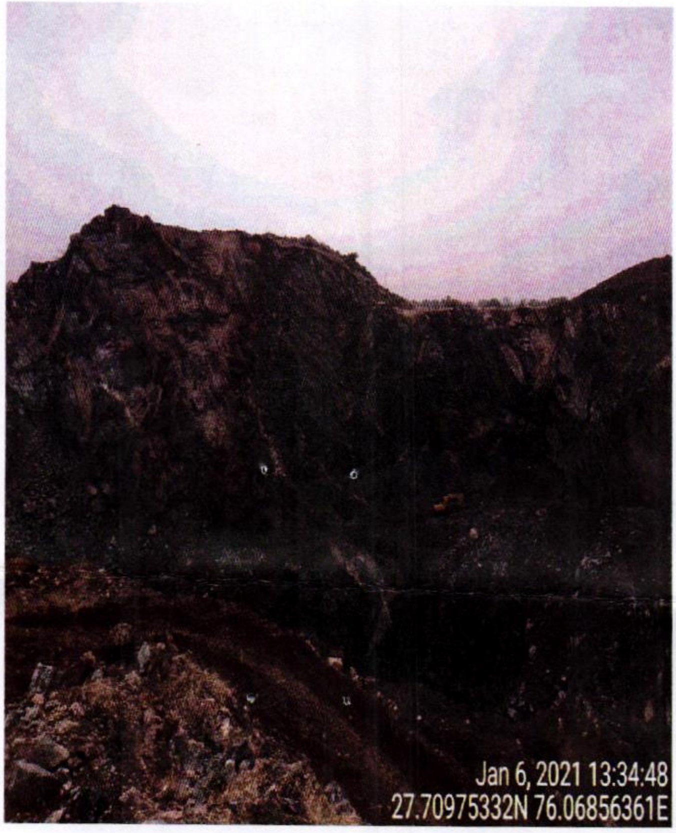

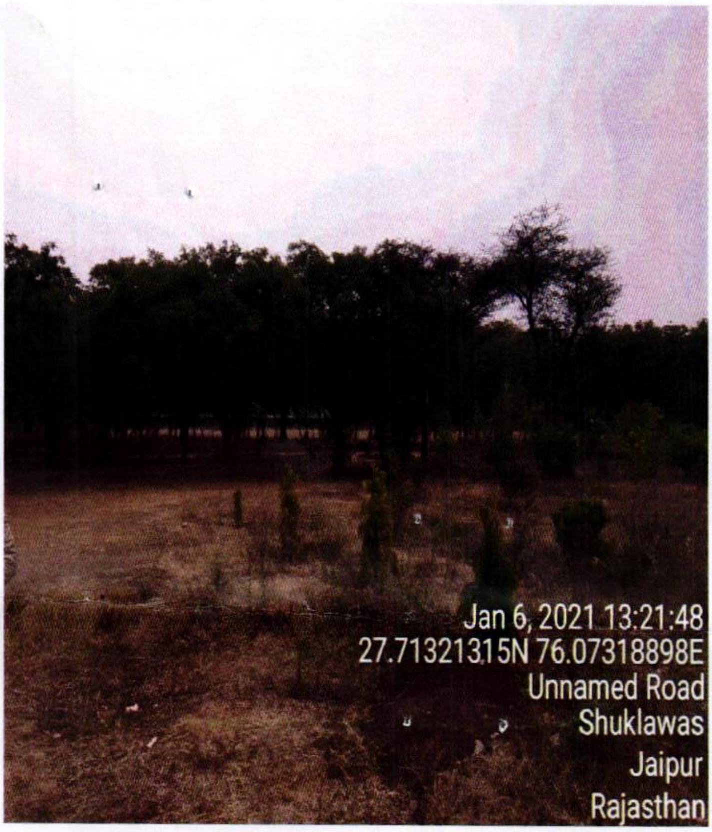

अमित सोनी
सहायक पर्यावरण अभियंता
रा. प्र. नि. म., जयपुर

MF/AME/KTP
06/01/21

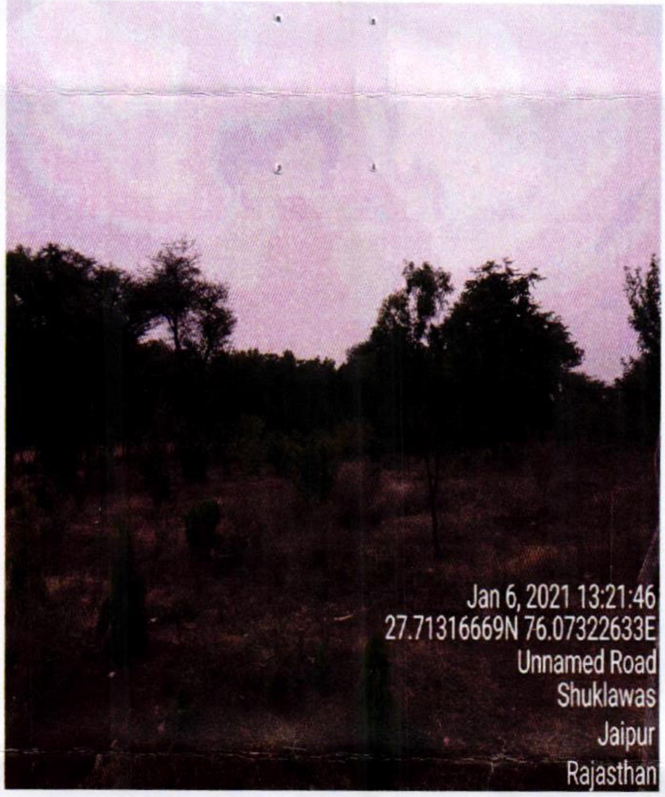

अमित सोनी
सहायक पर्यावरण अभियंता
रा.प्र.नि.म., जयपुर

MF/AHE/KTP
06/01/21

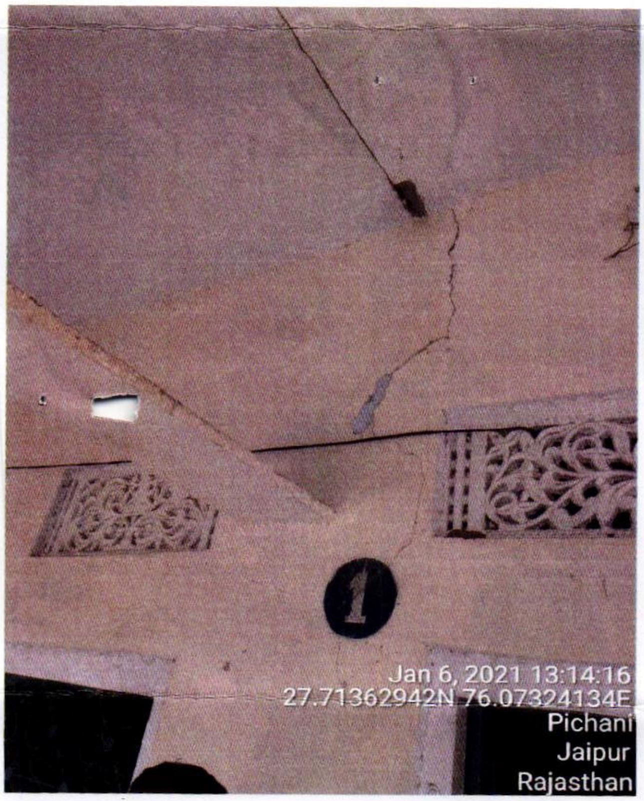

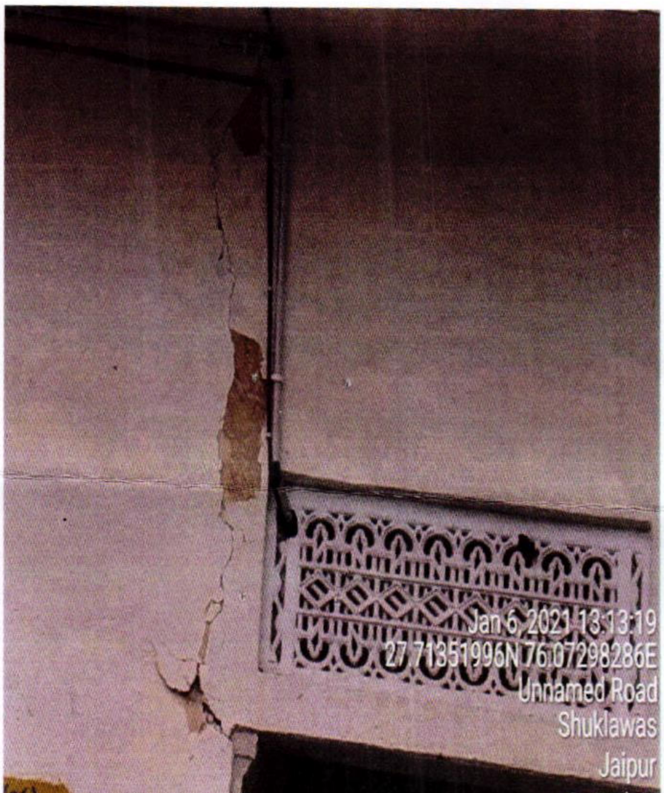

अमित सोनी
सहायक पर्यावरण अभियंता
रा.प्र.नि.म, जयपुर

MF | AME | KTP
06/01/21

अमित सोनी
सहायक पर्यावरण अभियंता
रा.प्र.नि.म, जयपुर

MF/AME/KTP
06/01/21